फर्द अहकाम

गीतादेवी बनाम दड़कली वगै.

न्यायालय

केस संख्या 16/2018

प्रा०पत्र 151 CPC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/2/19	प०क० उप० समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05/3/19 को पेश हो।	
	05/3/19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/3/19 को पेश हो।	
	18/3/19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/4/19 को पेश हो।	
	16/4/19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/5/19 को पेश हो।	
	10/5/19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04/6/19 को पेश हो।	
	04/6/19	प०क० उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/6/19 को पेश हो।	
	17/6/19	प०क० उप० प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसले शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–16/2018

1. गीता देवी पत्नी भगवान सहाय
2. भगवाना पुत्र रामला

समस्त जाति माली निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जयपुर

–वादी/अप्रार्थीगण

बनाम

1. दड़कली बेवा तेजाराम
2. दीनदयाल पुत्र गंगाराम
3. राजेन्द्र पुत्र गंगाराम
4. प्रहलाद पुत्र गंगाराम
5. गिरधारी पुत्र तेजाराम
6. हरफूल पुत्र तेजाराम
7. सुरेश पुत्र तेजाराम
8. औमप्रकाश पुत्र तेजाराम
9. चौथी देवी पुत्री तेजाराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जयपुर

10. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. कनिष्ठ अभियंता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, गोविन्दगढ,तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादी/प्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

आदेश

दिनांकः–17.06.2019

प्रार्थी/अप्रार्थीगण सं0 5 ता 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा का वाद विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पूर्व में ही दिनांक 16.04.2013 को निस्तारण किया जा चुका है। जिसमें पक्षकारान को मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। उक्त वाद बंटवारे का पैश किया गया हैं, जिसमें खातेदारों के मध्य मौके पर अपने हिसाब से

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

काश्त करते चले आ रहे हैं, जिसमें मिन प्रार्थीगण 2701 खसरा नम्बर में ईंटो से मकानात बनाकर उसमें टिनशेड लगाकर पीछले करीब 30–35 वर्षो से काबिज चले आ रहे हैं, परन्तु वहां पर पानी एवं विधुत का कनेक्शन नहीं लिया हुआ हैं, अभी हाल ही में विधुत सम्बंध प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पैश किया गया था। जिसमें विधुत विभाग द्वारा कनेक्शन जारी कर दिया गया है तथा डिमाण्ड नोटिस के आधार पर नियमानुसार विभाग में राशि भी जमा करवाई जा चूकी हैं, परन्तु उसके बावजूद भी विभागीय कर्मचारियों द्वारा उक्त स्थगन होने का हवाला देकर विधुत सम्बन्ध जारी नहीं किया जा रहा हैं, क्योंकि उक्त वाद में वह भी पक्षकार हैं। पूर्व में पानी की व्यवस्था थीं, इस कारण कोई समस्या नही आ रही थी परन्तु वर्तमान में पानी का अभाव होने के कारण मवेशियों एवं प्रार्थीगण को अपना व अपने परिवार को पानी हेतु काफी समस्या आ रही हैं, इस कारण जल सम्बन्ध जारी किया जाना आवश्यकीय है। उक्त स्थगन की आड में प्रार्थीगण जल सम्बन्ध भी नही ले पा रहा हैं। उक्त दोनो ही मूलभुत आवश्यकताये हैं, जिनके बिना जीवनयापन नही किया जा सकता हैं, तथा प्रार्थीगण अपने बच्चों आदि को पढाने में भी असफल हो रहे हैं। उक्त वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थीगण द्वारा जल व विधुत कनेक्शन प्राप्त कर लिए जाते है तो प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत कथन किया है।

अप्रार्थीगण/वादी को प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किया गया। जवाब बंद किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी/अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूलवाद तकासमा का है जल व विधुत कनेक्शन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताए है। स्थगन आदेश में इजाजत दिये जाने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर नही पड़ेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।

अप्रार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण हो चुका है। अगर प्रार्थी/अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार इजाजत/अनुतोष चाहिये तो उक्त आदेश की अपील ही करनी चाहिये। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। मूलवाद तकासमा स्थाई निषेधाज्ञा का है। इजाजत दिये जाने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर नहीं पडता है। जल व घरेलू विधुत कनेक्शन व्यक्ति विशेष की मूलभूत आवश्यकताए है। जिस कारण प्रार्थी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

सीपीसी इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार उक्त जल व घरेलू विधुत कनेक्शन को स्वामित्व के रूप में साक्ष्य पेश नहीं कर सकेगा तथा जिस खसरा नं0 में घरेलू विधुत कनेक्शन जारी हो, यदि उक्त खसरा नं0 मूल दावे के निस्तारण के समय यदि किसी अन्य पक्षकार के हिस्से में आता है तो सभी पक्षकार उक्त खसरा नं0 को दूसरे खातेदार को देने के लिये बाध्य रहेंगें। शर्त के साथ प्रार्थी/अप्रार्थीगण को इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 16.04.13 में जल व घरेलू विधुत कनेक्शन हेतु छूट प्रदान की जाती है।

आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.05 11:57:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: